



विनिवेश विभाग  
के लिए  
परिणाम ढांचा दस्तावेज  
(आरएफडी)  
(2013-2014)

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2013-2014)

खंड 1 :

## परिकल्पना, मिशन, उद्देश्य और कार्य

### परिकल्पना

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के माध्यम से जन-स्वामित्व को बढ़ावा देना और पूंजीगत निवेश के लिए संसाधन निर्मुक्त करना। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करके निगमित नियंत्रण में सुधार करना।

### मिशन

1. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के असूचीबद्ध और लाभ कमाने वाले सभी उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करना और सूचीबद्ध किए गए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आम जनमानस की शेयरधारिता में वृद्धि करना ताकि निम्नलिखित में सुविधा प्राप्त हो सके: (क) उच्च प्रकटीकरण स्तर जिससे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली में बेहतर पारदर्शिता तथा जवाबदेही आए। (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली में बाजार अनुशासन लाना। (ग) सभी शेयरधारकों नामतः निवेशकों, कर्मचारियों, कंपनी तथा सरकार के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वास्तविक मूल्य को निर्मुक्त करना। (घ) इक्विटी संस्कृति के विस्तार के माध्यम से पूंजी बाजार का विकास करना और उसको गहराई प्रदान करना। 2. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पहले से ही सूचीबद्ध, लाभ कमाने वाले उद्यमों को, (जो 10% की आम जनमानस की शेयरधारिता की शर्त को पूरा नहीं करते ) इस शर्त का अनुपालक बनाया जाना। 3. भारत सरकार की शेयरधारिता का मामला-दर-मामला आधार पर किसी भी पद्धति के माध्यम से विनिवेश।

### उद्देश्य

1. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में खुदरा निवेशकों की बृहत्तर भागीदारी के माध्यम से जन-स्वामित्व को बढ़ावा देना।
2. विनिवेश प्रक्रिया के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करना।
3. सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से अल्पांश शेयरों की बिक्री हेतु ढांचे तथा प्रक्रिया की उपयुक्त संदर्भ सामग्री सृजित करना।
4. सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सार्वजनिक शेयरधारिता में वृद्धि करना (अनुवर्ती पेशकशों और सीपीएसई के शेयरों पर आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से)।
5. पूंजीगत निवेश के लिए संसाधन जुटाना।

6. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सुनिश्चित करना।

### कार्य

- 1.(क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले। (ख) पूर्ववर्ती केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में, बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के माध्यम से केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले;
2. सलाहकारों की नियुक्ति, शेरों का मूल्य निर्धारण और विनिवेश के अन्य निबंधनों और शर्तों सहित विनिवेश संबंधी निर्णयों को क्रियान्वित करना ।
3. केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम।
4. राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई गई विनिवेश से प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति।

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2013-2014)

भाग - 2

मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों में पारस्परित प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भारिता	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	भारिता	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	घटिया
						100%	90%	80%	70%	60%
(1) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में फुटकर निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाकर जन-स्वामित्व को विकसित करना।	5.00	(1.1) आईपीओ/ सार्वजनिक पेशकश	(1.1.1) खुदरा हिस्से का ओवरसब्सक्रिप्शन	%	5.00	150	100	75	60	40
(2) विनिवेश प्रक्रिया के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना।	5.00	(2.1) ब्रोकरों, निधि प्रबंधकों और निवेशक संघों के साथ बैठक आयोजित करना।	(2.1.1) आयोजित बैठकों/सम्मेलनों की संख्या	संख्या	5.00	8	7	6	5	4
(3) सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से अल्पांश शेयरों की बिक्री के लिए ढांचे और प्रक्रियाओं की उपयुक्त संदर्भ सामग्री तैयार करना।	5.00	(3.1) विनिवेश प्रक्रिया और समाविष्ट चरणों संबंधी मार्ग-दर्शिका को अद्यतित करना।	(3.1.1) मार्गदर्शिका में संशोधन करना।	दिनांक	5.00	31/12/2013	15/1/2014	31/1/2014	15/2/2014	28/2/2014
(4) सूचीबद्ध केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सार्वजनिक शेयरधारिता को बढ़ाना (अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकशों और सीपीएसई शेयरों पर आधारित ईटीएफ के माध्यम से)।	5.00	(4.1) सीपीएसई-ईटीएफ की शुरुआत।	(4.1.1) सीपीएसई-ईटीएफ का स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण।	रु. (000 करोड़ में)	5.00	3	2.7	2.4	2.1	1.8
(5) पूंजीगत निवेश के लिए संसाधन जुटाना	65.00	(5.1) सीपीएसईएस में सरकार की शेयरधारिता में से शेयरों की पूंजी बाजार में बिक्री की पेशकश।	(5.1.1) आईपीओ/एफपीओ/ओएफएस के माध्यम से निधियां जुटाना।	राशि करोड़ रु. में	65.00	--	--	--	--	--
• आरएफडी प्रणाली का दक्ष संचालन।	3.00	आरएफडी प्रणाली के अनुमोदन के लिए मसौदा आरएफडी 2014-	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	2.0	5/3/2014	6/3/2014	7/3/2014	8/3/2014	11/3/2014

		15 का समय पर प्रस्तुतीकरण।								
		2012-13 के परिणाम को यथासमय प्रस्तुत करना।	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.0	1/5/2013	2/5/2013	3/5/2013	6/5/2013	7/5/2013
• मंत्रालय/विभाग की आंतरिक दक्षता/प्रतिक्रियात्मकता/पारदर्शिता/सेवा प्रदायगी में सुधार करना।	6.00	विभागीय रणनीति को 12वीं योजना की प्राथमिकताओं के अनुरूप अद्यतित करना।	समय पर रणनीति का अद्यतन	दिनांक	2.0	10/9/2013	17/9/2013	24/9/2013	1/10/2013	8/10/2013
		नागरिक/ क्लाइंट चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा।	कार्यान्वयन का %	%	2.0	100	95	90	85	80
		जन शिकायत निवारण तंत्र के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का %	%	2.0	100	95	90	85	80
• प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने वाली रणनीति को कार्यान्वित करना।	कार्यान्वयन का %	%	1.0	100	95	90	85	80
		अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 का कार्यान्वयन	कार्यान्वयन का %	%	2.0	100	95	90	85	80
		नवीकरण कार्ययोजना का कार्यान्वयन	सहमत लक्ष्यों की प्राप्ति का %	%	2.0	100	95	90	85	80
		दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय और विभाग के महत्वपूर्ण और गैर- महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की पहचान करना।	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.0	1/10/2013	15/10/2013	30/10/2013	10/11/2013	20/11/2013

\* अनिवार्य उद्देश्य

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2013-2014)

भाग - 3

सफलता सूचकों के प्रचलित मूल्य

उद्देश्य	कार्य	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए अनुमानित मूल्य
(1) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में फुटकर निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाकर जन-स्वामित्व को विकसित करना।	(1.1) आईपीओ/सार्वजनिक पेशकश	(1.1.1) खुदरा हिस्से का ओवरसब्सक्रिप्शन	%	3.39	0	1.50	1.50	1.50
(2) विनिवेश प्रक्रिया के बारे में जनता को जागरूक करना।	(2.1) ब्रोकरों, निधि प्रबंधकों और निवेशक संघों के साथ बैठक आयोजित करना।	(2.1.1) आयोजित बैठकों/सम्मेलनों की संख्या	संख्या	16	10	8	5	2
(3) सार्वजनिक पेशकशों के माध्यम से अल्पांश शेयरों की बिक्री के लिए ढांचे और प्रक्रियाओं की उपयुक्त संदर्भ सामग्री तैयार करना।	(3.1) विनिवेश प्रक्रिया और समाविष्ट चरणों संबंधी मार्ग-दर्शिका को अद्यतित करना।	(3.1.1) मार्गदर्शिका में संशोधन करना।	दिनांक	16/6/2011	31/10/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
(4) सूचीबद्ध केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सार्वजनिक शेयरधारिता को बढ़ाना (अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकशों और सीपीएसई शेयरों पर आधारित ईटीएफ के जरिए)।	(4.1) सीपीएसई-ईटीएफ की शुरुआत।	(4.1.1) सीपीएसई-ईटीएफ का स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण।	रु. (000 करोड़) में	--	--	3	--	--
(5) पूंजीगत निवेश के लिए संसाधन जुटाना	(5.1) सीपीएसईएस में सरकार की शेयरधारिता में से शेयरों की पूंजी बाजार में बिक्री की पेशकश।	(5.1.1) आईपीओ/एफपीओ/ओएफएस के जरिए निधियां जुटाना।	राशि करोड़ में	13894.05	23956.82	--	--	--
• आरएफडी प्रणाली का दक्ष संचालन।	आरएफडी प्रणाली के अनुमोदन के लिए	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	--	--	6/3/2014	--	--

	मसौदा आरएफडी 2014-15 का समय पर प्रस्तुतीकरण।							
	2012-13 के परिणाम को यथासमय प्रस्तुत करना।	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	--	--	2/5/2013	--	--
• मंत्रालय/विभाग की आंतरिक दक्षता/प्रतिक्रियात्मकता/पारदर्शिता/सेवा प्रदायगी में सुधार करना।	विभागीय रणनीति को 12वीं योजना की प्राथमिकताओं के अनुरूप अद्यतित करना।	समय पर रणनीति का अद्यतन	दिनांक	--	--	17/9/2013	--	--
	नागरिक/ क्लाइंट चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा।	कार्यान्वयन का %	%	--	--	95	--	--
	जन शिकायत निवारण तंत्र के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का %	%	--	--	95	--	--
• प्रशासनिक सुधार	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए रणनीति को कार्यान्वित करना।	कार्यान्वयन का %	%	--	--	95	--	--
	अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 का कार्यान्वयन	कार्यान्वयन का %	%	--	--	95	--	--
	नवीकरण कार्ययोजना का कार्यान्वयन	सहमत लक्ष्यों की प्राप्ति का %	%	--	--	95	--	--
	दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय और विभाग के महत्वपूर्ण और गैर- महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की पहचान करना।	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	--	--	15/10/2013	--	--

\* अनिवार्य उद्देश्य

विनिवेश विभाग के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) - (2013-2014)

**भाग - 4**

**परिवर्णी शब्द**

क्रम संख्या	परिवर्णी शब्द	विवरण
1.	ईटीएफ	एक्सचेंज ट्रेडिड फंड
2.	एफपीओ	अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश
3.	आईपीओ	आरंभिक सार्वजनिक पेशकश
4.	ओएफएस	प्रवर्तकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश



भाग - 4

सफलता सूचकों का वर्णन और उनकी परिभाषा तथा मापन पद्धति

क्र.सं.	सफलता सूचक	वर्णन	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियां
1	(7.1.1) आईपीओ/एफपीओ/ओएफएस के माध्यम से निधियां जुटाना	अधिदेशित बजटीय संसाधन जुटाने के लिए एक परिवर्तनीय योजना तैयार की जाती है जो प्रशासनिक मंत्रालय और सीपीएसईस के साथ बातचीत के दौरान प्राप्त संकेतों पर आधारित होती है। प्रशासनिक मंत्रालय की सहमति और सीपीएसई की तैयारी को ध्यान में रखते हुए, योजना की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और उसे अद्यतित किया जाता है।	--	सफलता को, बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में जुटाई गई धनराशि के संदर्भ में मापा जाता है।	सार्वजनिक पेशकशों, सेबी, कम्पनी के रजिस्ट्रार जैसे विनियामक प्राधिकरणों के अनुपालन और उनके अनुमोदन पर निर्भर करती हैं। सीपीएसई के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निवेशकों की नियुक्ति महत्वपूर्ण घटक होता है जिसके बिना, पेशकश के लिए सेबी का अनुमोदन प्राप्त करना असंभव होता है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, एक अन्य घटक है, जो सार्वजनिक पेशकश के समय और उसकी सफलता को प्रभावित करता है।

अन्य विभागों से विशिष्ट कार्यनिष्पादन अपेक्षाएं

राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	प्रासंगिक सफलता सूचक	इस संगठन से आप क्या अपेक्षा करते हैं	इस अपेक्षा का औचित्य	कृपया इस संगठन से अपनी अपेक्षा की मात्रा बताएं	तब क्या होगा जब आपकी अपेक्षा पूरी न हो
			(7.1.1) आईपीओ/एफपी ओ/ ओएफएस के माध्यम से निधियां जुटाना	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सीपीएसई से उसकी निधि आवश्यकता और उसकी इच्छा की पुष्टि किया जाना अपेक्षित है ताकि प्रस्ताव, विशेषकर भारत सरकार द्वारा बिक्री की पेशकश और सीपीएसई द्वारा शेयरों के नए निर्गम अर्थात् पेशकश की मात्रा निर्धारित की जा सके। (ii) स्वतंत्र निवेशकों की नियुक्ति (iii) मिनी रत्न, नवरत्न या महारत्न का दर्जा देने से पहले, न्यूनतम 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण अनिवार्य बना देना चाहिए। (iv) असूचीबद्ध महारत्न सीपीएसईज को 2 वर्ष की अवधि के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण किए जाने के लिए कहा जाना चाहिए अन्यथा उसका दर्जा समाप्त माना जाए।	सीपीएसई का प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय, सीपीएसई के संमुख मुद्दों और उसमें भारत सरकार की एक विशिष्ट प्रतिशत शेयरधारिता कायम रखने के रणनीतिक कारणों को समझता है। (ii) सूचीकरण के लिए अनिवार्य अपेक्षा (iii) और (iv) चूंकि मिनी रत्न, नवरत्न या महारत्न का दर्जा सीपीएसई को अधिक स्वायत्ता प्रदान करता है, इसलिए इसे उच्चतर उत्तरदायित्व के साथ-साथ ही चलना चाहिए ; इस शर्त से सीपीएसईज को सरकार की विनिवेश नीति के अनुसार सूचीकरण के लिए आगे आने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।	सौदे के संपन्न होने तक पूर्ण सहमति और निरंतर सक्रिय सहयोग (ii) स्वतंत्र निवेशकों की नियुक्ति में, उपयुक्त अनुमोदन प्राप्त करने में इन सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुमोदन में विलंब होने या न मिलने या देर से मिलने से सार्वजनिक पेशकश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। (iii) और (iv) पूर्ण सहयोग अपेक्षित है। इससे अधिक से अधिक कंपनियों को पूंजी बाजार में उतारने के लिए एक अनुकूल परिवेश प्राप्त होगा और इस प्रकार विनिवेश नीति के उद्देश्य के साथ-साथ विनिवेश लक्ष्य भी प्राप्त होगा।	पेशकश नहीं की जा सकती। (ii) सेबी, सार्वजनिक पेशकश के लिए अनुमोदन नहीं देगा। (iii) और (iv) विनिवेश नीति के कार्यान्वयन और विनिवेश प्राप्ति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भाग - 6

विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव	निम्नलिखित विभाग (गों)/मंत्रालय (यों) के साथ इस निष्कर्ष/प्रभाव पर संयुक्त रूप से असर डालने के लिए उत्तरदायी	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12	वित्त वर्ष 12/13	वित्त वर्ष 13/14	वित्त वर्ष 14/15	वित्त वर्ष 16/17
1 बजटीय संसाधन जुटाना और बाजार अनुशासन के माध्यम से सीपीएसईज में निगमित नियंत्रण में सुधार करना	प्रशासनिक मंत्रालय/डीपीई/डीओपीटी	पेशकर्तों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि	करोड़ रु.	12894.05	23956.82			
2 स्टॉक एक्सचेंज में सीपीएसईज के सूचीकरण के माध्यम से उत्तरदायित्व में वृद्धि	प्रशासनिक मंत्रालय/डीपीई/डीओपीटी	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सीपीएसईज की संख्या	संख्या	1	0			
3 स्टॉक एक्सचेंज में सीपीएसईज के सूचीकरण के माध्यम से उत्तरदायित्व में वृद्धि	प्रशासनिक मंत्रालय/डीपीई/डीओपीटी	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध पात्र सीपीएसईज की प्रतिशतता	%	2	0			
4 जनता की अधिक भागीदारी		वर्ष के दौरान अतिरिक्त रूप से असूचीबद्ध किए गए सीपीएसईज में आम जनता द्वारा धारित शेयरों की प्रतिशतता	%	10	0			
5 खुदरा निवेशकों की अधिक भागीदारी		वर्ष के दौरान सूचीबद्ध किए गए सीपीएसईज में खुदरा निवेशकों द्वारा धारित शेयरों की प्रतिशतता	%	3.5	0			